

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-3301  
दिनांक 20 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

बिजली वाले और बिना बिजली वाले परिवारों से संबंधित आंकड़े

3301. श्री गुरमीत सिंह मीत हायर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में बिजली के कनेक्शन वाले और बिना बिजली के कनेक्शन वाले परिवारों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) उन घरों की संख्या कितनी है, जिन्हें 24x7 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है अथवा नहीं की गई है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान 24x7 विद्युत आपूर्ति के आश्वासन वाले क्षेत्रों, सूचित किए गए विद्युत डाउनटाइम के उदाहरण सहित कारणों और औसत डाउनटाइम अवधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख): विद्युत एक समवर्ती विषय है, इसलिए उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में है। भारत सरकार सभी उपभोक्ताओं तक विद्युत आपूर्ति की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) जैसी स्कीमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता दे रही है। ये स्कीमों दिनांक 31.03.2022 तक बंद हो चुकी हैं।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत सभी संगणना गांवों का विद्युतीकरण किया गया और कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण अनुबंध-I पर है)। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सौभाग्य के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2019 तक सभी इच्छुक घरों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया। सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया (राज्यवार विवरण अनुबंध-II पर है)।

भारत सरकार जुलाई, 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की मौजूदा स्कीम के अंतर्गत भी सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों की सहायता कर रही है। इसके अतिरिक्त, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के अंतर्गत चिह्नित किए गए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों से संबंधित घरों को स्कीम के

दिशा-निर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन के लिए संस्वीकृति दी जा रही है। अब तक, 10,19,030 घरों के विद्युतीकरण के लिए 4,643 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों को संस्वीकृति दी गई है (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-III** पर हैं)। आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत सभी घरेलू विद्युतीकरण कार्य स्कीम की समाप्ति तिथि तक पूरे किए जाने हैं।

(ग) : विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति करेगा। हालांकि, विनियामक आयोग कृषि जैसे उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए आपूर्ति के कम घंटे निर्दिष्ट कर सकता है। यह नियम सभी राज्यों और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों के लिए लागू हैं। विद्युत मंत्रालय फीडर स्तर से नीचे अर्थात् घरेलू स्तर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति के घंटों से संबंधित आंकड़ों का रखरखाव नहीं करता है।

देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश में वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 466 गीगावॉट है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से 234 गीगावॉट उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी से विद्युत पर्याप्तता वाले देश में बदल रहा है। इसके अलावा, वर्ष 2014 से अब तक 2,01,088 सीकेएम पारेषण लाइन, 7,78,017 एमवीए परिवर्तन क्षमता और 82,790 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता हासिल की गई है, जिससे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,18,740 मेगावाट विद्युत पहुंचाने की क्षमता हासिल हुई है। हालांकि, पिछले तीन वर्षों में कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जहां विद्युत की कमी का सामना करना पड़ा है। पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति **अनुबंध-IV** पर है।

मंत्रालय ने इन राज्यों को अधिशेष राज्यों/उत्पादक कम्पनियों (जेनको) से विद्युत खरीदने की सलाह दी है। इसके अलावा, भारत सरकार ने देश में निर्बाध और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- i. ईंधन की कमी से बचने के लिए सभी ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
- ii. एनटीपीसी के गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के साथ-साथ अन्य उत्पादकों को उच्च विद्युत मांग अवधि के दौरान शेड्यूल किया जा रहा है।
- iii. आईपीपी और केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों सहित सभी जेनको को नियोजित रखरखाव या मजबूरन कटौती की अवधि को छोड़कर दैनिक आधार पर उत्पादन करने और पूर्ण उपलब्धता बनाए रखने की सलाह दी गई है।
- iv. हाइड्रो आधारित उत्पादन को इस तरह से निर्धारित किया जा रहा है ताकि उच्चतम अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए पानी का संरक्षण किया जा सके।
- v. अधिकतम मांग की अवधि के दौरान उत्पादन यूनिट के नियोजित रखरखाव को न्यूनतम किया जा रहा है।
- vi. समयबद्ध संवर्धन के लिए नई विद्युत उत्पादन क्षमता की ध्यानपूर्वक निगरानी की जा रही है।
- vii. सरकार ने विनियामक ढांचे के माध्यम से विद्युत व्यापार की सुविधा दी है, जिसके तहत अधिशेष उत्पादन वाले राज्य तीन (3) विद्युत एक्सचेंजों अर्थात् भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (आईईएक्स), पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से हानि वाले राज्यों को विद्युत बेच सकते हैं।
- viii. विद्युत एक्सचेंज में रियल टाइम मार्केट (आरटीएम), ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएम), ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएम), हाई प्राइस डे अहेड मार्केट (एचपीडीएम) को जोड़कर विद्युत बाजार में सुधार किया गया है। इसके अलावा, ई-बोली के लिए दीप पोर्टल (डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंसी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस) और डिस्कॉम द्वारा अल्पकालिक विद्युत खरीद के लिए ई-रिवर्स भी है।

## डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य	डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1483
2	असम	2732
3	बिहार	2906
4	छत्तीसगढ़	1078
5	हिमाचलप्रदेश	28
6	जम्मू एवं कश्मीर	129
7	झारखंड	2583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	<b>कुल</b>	<b>18,374</b>

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों सहित सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ के बाद से विद्युतीकृत घरों की संख्या

क्रम सं.	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्रप्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुडुचेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
कुल		2,86,13,424

\* सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं

**आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत घरेलू विद्युतीकरण कार्य  
(पीवीटीजी + अतिरिक्त घर+ वीवीपी)**

क्रम सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत परिव्यय (रुपए करोड़ में)	संस्वीकृत जीबीएस (रुपए करोड़ में)	कुल संस्वीकृत घर
<b>क.</b>	<b>आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त घर</b>			
1	राजस्थान	459.18	275.51	1,90,959
2	मेघालय	435.7	392.13	50,501
3	मिजोरम	79.9	71.91	15,167
4	नागालैंड	69.55	62.59	10,004
5	उत्तर प्रदेश	931.04	558.62	2,51,487
6	आंध्र प्रदेश	49.24	29.55	15,475
7	झारखंड	7.47	4.48	872
8	जम्मू एवं कश्मीर	77.1	69.39	10,730
9	बिहार	238.86	143.32	35,467
10	असम	785.55	706.99	1,27,111
11	अरुणाचल प्रदेश	47.11	42.4	6,506
12	मणिपुर	214.44	193	36,972
13	छत्तीसगढ़	316.51	189.9	63,161
14	केरल	0.33	0.2	40
<b>कुल (क)</b>		<b>3,711.98</b>	<b>2,739.99</b>	<b>8,14,452</b>
<b>ख.</b>	<b>वाइब्रेंट गांवों में आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य संस्वीकृत</b>			
1	हिमाचल प्रदेश*	6.08	5.47	0
2	अरुणाचल प्रदेश	20.18	18.16	1,683
3	उत्तराखंड	13.08	11.77	1,154
<b>कुल (ख)</b>		<b>39.34</b>	<b>35.41</b>	<b>2,837</b>
<b>ग.</b>	<b>पीएम-जनमन के अंतर्गत ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से पीवीटीजी घरों का विद्युतीकरण</b>			
<b>ग1</b>	<b>आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत</b>			
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	25,054
2	बिहार	0.28	0.17	51
3	छत्तीसगढ़	38.17	22.9	7,077
4	झारखंड	74.13	44.47	12,442
5	मध्य प्रदेश	143.39	86.02	29,290
6	महाराष्ट्र	26.61	15.96	8,556
7	राजस्थान	40.34	24.2	17,633
8	कर्नाटक	3.77	2.26	1,615
9	केरल	0.86	0.52	345
10	तमिलनाडु	29.89	17.94	10,673
11	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884
12	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664
13	उत्तराखंड	0.6	0.54	669

क्रम सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत परिव्यय (रुपए करोड़ में)	संस्वीकृत जीबीएस (रुपए करोड़ में)	कुल संस्वीकृत घर
14	उत्तर प्रदेश	1.1	0.66	316
<b>उप जोड़ (ग1)</b>		<b>516.15</b>	<b>328.31</b>	<b>1,29,269</b>
<b>ग 2</b>	<b>राज्य स्कीम के अंतर्गत पीवीटीजी घरों के विद्युतीकरण को शामिल किया गया **</b>			
1	गुजरात	0	0	
2	ओडिशा	0	0	
3	पश्चिम बंगाल	0	0	
<b>उप जोड़ (ग 2)</b>				
<b>कुल (ग = ग 1+ ग 2)</b>		<b>516.15</b>	<b>328.31</b>	<b>1,29,269</b>
<b>घ.</b>	<b>डीए-जेजीयूए के तहत चिह्नित जनजातीय परिवारों का विद्युतीकरण</b>			
<b>घ1</b>	<b>संस्वीकृत घर</b>			
1	आंध्र प्रदेश	19.12	11.47	4,921
2	अरुणाचल प्रदेश	8.2	7.38	1,938
3	बिहार	61.4	36.84	7,117
4	छत्तीसगढ़	11.98	7.19	2,550
5	हिमाचल प्रदेश	0.55	0.49	100
6	कर्नाटक	32.13	19.28	4,229
7	केरल	5.88	3.53	1,097
8	मध्य प्रदेश	39.82	23.89	6,493
9	महाराष्ट्र	2.07	1.24	480
10	तेलंगाना	110.73	66.44	26,525
11	त्रिपुरा	40.69	36.62	7,677
12	उत्तर प्रदेश	32.21	19.32	6,867
<b>उप जोड़ (घ 1)</b>		<b>364.77</b>	<b>233.69</b>	<b>69,994</b>
<b>घ 2</b>	<b>संस्वीकृत सार्वजनिक स्थान</b>			
1	आंध्र प्रदेश	0.7	0.42	182
2	अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.03	9
3	मध्य प्रदेश	1.5	0.9	256
4	तेलंगाना	2.89	1.74	672
5	त्रिपुरा	2.31	2.08	512
6	उत्तर प्रदेश	0.13	0.08	30
<b>उप जोड़ (घ 2)</b>		<b>7.58</b>	<b>5.26</b>	<b>1,661</b>
<b>कुल (घ = घ 1+ घ 2)</b>		<b>372.34</b>	<b>238.95</b>	<b>71,655</b>
<b>ड.</b>	<b>पीएम-अजय स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत विद्युतीकरण कार्य</b>			
1	आंध्र प्रदेश	3.5	2.1	811
2	मध्य प्रदेश	0.002	0.001	6
<b>कुल (ड)</b>		<b>3.5</b>	<b>2.1</b>	<b>817</b>
<b>कुल जोड़ (क + ख + ग + घ +ड)</b>		<b>4,643.32</b>	<b>3,344.75</b>	<b>10,19,030</b>

## पिछले तीन वर्षों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 23				वित्त वर्ष 24				वित्त वर्ष 25*			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,788	1,788	0	0.0	1,789	1,789	0	0.0	1,843	1,843	0	0.0
दिल्ली	35,143	35,133	10	0.0	35,501	35,496	5	0.0	35,935	35,924	12	0.0
हरियाणा	61,451	60,945	506	0.8	63,983	63,636	348	0.0	65,605	65,575	30	0.0
हिमाचल प्रदेश	12,649	12,542	107	0.8	12,805	12,767	38	0.0	12,495	12,458	37	0.3
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश	19,639	19,322	317	1.6	20,040	19,763	277	0.0	18,526	18,439	87	0.5
पंजाब	69,522	69,220	302	0.4	69,533	69,528	5	0.0	72,623	72,623	0	0.0
राजस्थान	101,801	100,057	1,745	1.7	1,07,422	1,06,806	616	0.0	104,549	104,245	304	0.3
उत्तर प्रदेश	144,251	143,050	1,201	0.8	1,48,791	1,48,287	504	0.0	153,505	153,203	302	0.2
उत्तराखंड	15,647	15,386	261	1.7	15,644	15,532	112	0.0	15,563	15,521	42	0.3
छत्तीसगढ़	37,446	37,374	72	0.2	39,930	39,872	58	0.1	38,757	38,729	28	0.1
गुजरात	139,043	138,999	44	0.0	145,768	145,740	28	0.0	138,514	138,514	0	0.0
मध्य प्रदेश	92,683	92,325	358	0.4	99,301	99,150	151	0.2	95,286	95,162	124	0.1
महाराष्ट्र	187,309	187,197	111	0.1	207,108	206,931	176	0.1	183,137	183,078	59	0.0
दादरा एवं नगर हवेली	10,018	10,018	0	0.0	10,164	10,164	0	0.0	9,925	9,925	0	0.0
गोवा	4,669	4,669	0	0.0	5,111	5,111	0	0.0	4,904	4,904	0	0.0
आंध्र प्रदेश	72,302	71,893	410	0.6	80,209	80,151	57	0.1	71,471	71,468	3	0.0
तेलंगाना	77,832	77,799	34	0.0	84,623	84,613	9	0.0	78,531	78,527	4	0.0

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 23				वित्त वर्ष 24				वित्त वर्ष 25*			
	ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	ऊर्जा आपूर्ति	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
कर्नाटक	75,688	75,663	26	0.0	94,088	93,934	154	0.2	82,127	82,123	4	0.0
केरल	27,747	27,726	21	0.1	30,943	30,938	5	0.0	28,597	28,588	8	0.0
तमिलनाडु	114,798	114,722	77	0.1	126,163	126,151	12	0.0	118,313	118,308	5	0.0
पुदुचेरी	3,051	3,050	1	0.0	3,456	3,455	1	0.0	3,244	3,244	0	0.0
लक्षद्वीप	64	64	0	0.0	64	64	0	0.0	61	61	0	0.0
बिहार	39,545	38,762	783	2.0	41,514	40,918	596	1.4	41,259	41,085	174	0.4
झारखंड	13,278	12,288	990	7.5	14,408	13,858	550	3.8	13,941	13,865	76	0.5
ओडिशा	42,631	42,584	47	0.1	41,358	41,333	25	0.1	39,132	39,108	24	0.1
पश्चिम बंगाल	60,348	60,274	74	0.1	67,576	67,490	86	0.1	65,075	64,984	91	0.1
सिक्किम	587	587	0	0.0	544	543	0	0.0	516	516	0	0.0
अंडमान और निकोबार	348	348	0	0.1	386	374	12	3.2	386	375	11	2.9
अरुणाचल प्रदेश	915	892	24	2.6	1,014	1,014	0	0.0	956	956	0	0.0
असम	11,465	11,465	0	0.0	12,445	12,341	104	0.8	11,897	11,891	6	0.0
मणिपुर	1,014	1,014	0	0.0	1,023	1,008	15	1.5	978	974	5	0.5
मेघालय	2,237	2,237	0	0.0	2,236	2,066	170	7.6	1,874	1,873	0	0.0
मिजोरम	645	645	0	0.0	684	684	0	0.0	647	647	0	0.0
नागालैंड	926	873	54	5.8	921	921	0	0.0	865	865	0	0.0
त्रिपुरा	1,547	1,547	0	0.0	1,691	1,691	0	0.0	1,779	1,779	0	0.0
अखिल भारतीय	1,513,497	1,505,914	7,583	0.5	1,626,132	1,622,020	4,112	0.3	1,547,785	1,546,229	1,555	0.1

\* अनंतिम

\*\*\*\*\*